फर्द अहकाम

बंशीधर बनाम रामकिशन

29/2015 पृ.50

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
19/8/19	व०फ० उप०। बहस हेतु पुनः वकील अप्रार्थी ने समय चाहा गया। वकील अप्रार्थी की मौखिक वचनबद्धता पर अन्तिम अवसर दिया जाकर पाबन्द किया जाता है कि आगामी पेशी पर आवश्यक रुप से बहस T.I. हो। प्रकरण में बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। आगामी पेशी पर बहस नहीं होने की स्थिति में प्र०पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्ते बहस T.I. दिनांक 29/8/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	
29/8/19	व०फ० उप०। उभय-पक्षों की बहस सुनी गई। दस्तावेज पेश किये गये जो शामिल मिसल रहे। पत्रावली वास्ते अवलोकन, आदेश दिनांक 6/9/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	
6/9/19	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 12/9/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12/9/19	व०फ० उप०। पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कमधे तथा मूलवाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)
मु0 नं0:– 29 / 2015

उनवान

बंशीधर पुत्र श्री गोपीराम जाति मीणा, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रार्थी / वादी–

बनाम

1. रामकिशन पुत्र श्री महादेव, जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रामावतार पुत्र श्री महादेव, जाति रैगर निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण–

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–12.09.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम उदयपुरिया हाल तहसील चौमूं गत तहसील आमेर, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 385 में वर्णित हाल खसरा नं0 1704 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 1705 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 1706 रकबा 1.03 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.22 है0 स्थित है जिसके गत खसरा नं0 900 व 901 थे उक्त मद में वर्णित आराजियात ही उपरोक्त प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त है विवादित आराजियात प्रार्थी / वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है और उक्त वर्णित भूमि को प्रार्थी / वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1966 को क्रय किया गया था जिसका की पंजीयन बुक संख्या 1 क्रम संख्या 149 पंजीबद्ध होकर वोल्यूम नं0 14 दिनांक 04.08.1966 को दर्ज रजिस्टर्ड किया गया है। जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त बाबत् संवत् 2018 से लेकर संवत् 2025 की खतौनी बंदोबस्त अनुरूप प्रार्थी / वादी उक्त विवादित आराजियात का अन्य आराजियात के साथ काबिज खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है तत्पश्चात् संवत 2025 के पश्चात् भी विवादित आराजीयात की खातेदारी प्रार्थी / वादी के नाम दर्ज नहीं रही है। विवादित आराजीयात प्रार्थी / वादी की कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजीयात है। जिसका कि स्वामित्व प्रार्थी / वादी में निहित है। उक्त विवादित आराजियात को काश्त करने हेतु बांटे पर समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दी गई जिनमें से सवंत 2025 के पश्चात् उक्त विवादित आराजियात को बांटे पर केवल मात्र काश्त करने हेतु अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हकपूर्वा अधिकारी स्व0 महादेव को दी गई ताकि महादेव रैगर द्वारा विवादित आराजियात जिसका कि स्वामी प्रार्थी / वादी है पर काश्त कर उक्त काश्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली पैदावार के आधे हिस्से को प्रार्थी / वादी भूमि को उपजाउ बनाने व अन्य संसाधन जुटाने हेतु कर सके जबकि उक्त विवादित भूमि प्रार्थी / वादी के स्वामित्व व खुदकाश्त की ही राजस्व रिकॉर्ड अनूरूप रही। अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हकपूर्वा अधिकारी अर्थात् पिता द्वारा विवादित आराजियात को बांटे पर प्राप्त करने के पश्चात् उक्त विवादित आराजियात पर कृषि कार्य के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली पैदावार के आधे हिस्से को प्रार्थी / वादी को कुछ वर्षो तक तो दिया गया किन्तु तत्पश्चात् उक्त महादेव द्वारा प्रार्थी / वादी को बावजूद तलब तकाजा करने के पश्चात् भी विवादित आराजियात से उत्पन्न होने वाली उपज का आधा हिस्सा प्रार्थी / वादी को नहीं दिया गया तथा विवादित आराजियात पर काश्त कर उसका उपयोग उपभोग किया जाने लगा। इस प्रकार अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हकपूर्वा अधिकारी महादेव की स्थिति उक्त विवादित आराजियात के संदर्भ में स्वामी की कभी नहीं रही है तथा प्रार्थी / वादी विवादित आराजियात को जरिये विक्रय पत्र क्रय करने के उपरान्त काबिज खातेदार काश्तकार रहा है। अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हकपूर्वा अधिकारी महादेव द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कर खातेदारी कॉलम में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी/वादी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम अंकित करवा लिया जिस बाबत प्रार्थी/वादी की कभी भी कोई भी स्वीकृति व सहमति महादेव द्वारा नहीं ली गई ना ही इस बाबत महादेव द्वारा प्रार्थी/वादी को सूचित ही किया गया है तथा महादेव की मृत्यु पश्चात् उक्त भूमि के खातेदारी कॉलम में राजस्व कर्मचारीयों की मिलीभगत से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा स्वय का नाम अंकित करवा लिया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 एवं उनके हकपूर्वा अधिकारी अर्थात् पिता द्वारा प्रार्थी/वादी की सहमति व जानकारी के बिना विवादित आराजियात के सदर्भ में राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर करवाये गये इन्द्राजात प्रार्थी/वादी के हक अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है जिस आधार पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 व 2 को विवादित आराजियात के संदर्भ में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा कानूनन प्रार्थी/वादी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीदशुदा भूमि को कभी भी किसी भी व्यक्तिगत खातेदारी में अंकित नहीं किया जा सकता इस प्रकार अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अंकित किये गये राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात विधि विरूद्ध होने से प्रारम्भ से ही शून्य है जिनका कोई विधिक महत्व नहीं है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 दिनांक 13.05.2015 को अन्य असामाजिक किस्म के व्यक्तियों के साथ संगठित व एकराय होकर विवादित आराजियात पर आये तथा विवादित आराजियात पर फावडे, गैंती इत्यादि चलाकर विवादित भूमि को कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करने का प्रयत्न करने लगे एवं विवादित आराजियात पर निर्माण सामग्री डालकर पुख्ता निर्माण करने की नियत से नींव, खड्डे इत्यादि खोदने लगे जिसका विरोध प्रार्थी/वादी द्वारा अन्य ग्रामवासियों की मदद से किये जाने पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं 1 व 2 उग्र हो गये तथा प्रार्थी/वादी से लडाई झगडा कर एलानिया धमकी देने लगे कि उक्त विवादित आराजियात से उनका कोई लेना देना नहीं है तथा वे विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विवादित भूमि पर गैर कृषि कार्य कर विवादित आराजियात को छोटे छोटे भूखण्डों में परिवर्तित कर देगें तथा अन्य दीगर व्यक्ति, संस्थाओं को विक्रय हस्तानान्तरित कर देगें जिसमें यदि प्रार्थी/वादी ने कोई आपत्ति व उज्र किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 तथा उनके साथ आये अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त मद में वर्णितानुसार प्रार्थी/वादी को एलानियः धमकी देने पर प्रार्थी/वादी द्वारा विवादित आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड बाबत छानबीन करने पर प्रार्थी/वादी को सर्वप्रथम राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर विवादित आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का नाम इन्द्राजात करवा लिया लगा है जिस आधार पर वे विवादित आराजियात को कभी भी विक्रय हस्तानान्तरित कर सकते है जिस पर प्रार्थी/वादी द्वारा समस्त राजस्व रिकॉर्ड एवं विक्रय पत्र की नकल प्राप्त कर दिनांक 09.04.2015 को पुनः अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 से सम्पर्क कर विवादित अराजियात के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया गया जिस पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा प्रार्थी/वादी को कोई संतोषप्रद जवाब ना दिया जाकर एलानिया धमकी दी गई कि वे विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त नहीं करायेंगे तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 के मार्फत विवादित आराजियात को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तानान्तरित कर खुर्द बूर्द कर देंगे जिस पर प्रार्थी/वादी द्वारा तत्काल ही अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं 3 व 4 से सम्पर्क कर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा विवादित आराजियात पर की जा रही अवैध गतिविधि को रोकने तथा राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को प्रार्थी/वादी द्वारा निवेदन करने पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 द्वारा प्रार्थी/वादी को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। प्रार्थी/वादी को कानूनन हक अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी/वादी उक्त विवादित आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर उक्त विवादित आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का राजस्व रिकॉर्ड से नाम हजफ करवाकर स्वयं को मालिक, स्वामी घोषित करावे। उक्त विवादित आराजियात के संबंध में दिनांक 09.04.2015 को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थी/वादी को ऐलानिया धमकी दिये जाने के कारण प्रार्थी/वादी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबंध करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 विवादित आराजियात पर किसी भी प्रकार का कोई पक्का अथवा कच्चा निर्माण नहीं करें, ना ही विवादित आराजियात पर गैर कृषि कार्य ही करें, ना ही विवादित आराजियात को छोटे छोटे भूखण्डों में विःक्त करें, ना ही विवादित आराजियात का विक्रय हस्तानान्तरण ही करें, ना ही विवादित आराजियात का भू उपयोग परिवर्तन करावें तथा अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 3 विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें एवं अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 4 विवादित आराजियात के संदर्भ में किसी भी प्रकार के हस्तानान्तरण पत्र, रहन पत्र इत्यादि के अपने सम्मुख

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
दौसा (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक नहीं करें उपरोक्त समस्त कृत्य अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 1 ता 4 ना तो स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेंट, सर्वेट, वर्कमेन, नोमिनी इत्यादि के जरिये करें या करावें अर्थात् अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 1 ता 4 विवादित आराजियात की वर्तमान मौका व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनायें रखें।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की वाके ग्राम उदयपुरिया, हाल तहसील चौमूँ, गत तहसील आमेर, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 385 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 1704 रकबा 0.11 है0 खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.03 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.22 है0 स्थित हैं, जिसके गत खसरा नं0 900 व 901 थें, रिकॉर्ड का तथ्य होने से स्वीकार हैं। उक्त भूमियां किसी तरह से विवादग्रस्त नहीं हैं, प्रार्थी/वादी ने उक्त भूमियों को गलत रूप्प से विवादग्रस्त कहां है। विवादित आराजियात प्रार्थी/वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी को भूमि रहीं हैं और प्राथी/वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.07.1966 को क्रय किया गया था जिसका की पंजीयन बुक संख्या 1 क्रम संख्या 149 पंजीबद्ध होकर वोल्यूम नम्बर 14 दिनांक 04.08. 1966 को दर्ज रजिस्टर्ड किया गया हैं। जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त बाबत संवत् 2018 से लेकर सम्वत् 2025 की खतौनी बंदोबस्त अनुरूप प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजियात का अन्य आराजीयात के साथ काबिज, खातेदार, काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हैं। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि बेचान के बाद प्राथी/वादी का उक्त वर्णित भूमियों बाबत कोई हक अधिकार नहीं रहा व उक्त भूमियॉ अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी में है। प्रार्थी/वादी का कोई स्वामित्व निहित नहीं है व विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1972 के बाद कोई हक अधिकार व स्वामित्व प्रार्थी/वादी का उक्त वर्णित भूमियों पर नहीं रहा। प्रार्थी/वादी की ओर से किसी ने भी महादेव को कभी भी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों को बंटायत पर नही दी, बल्कि महादेव अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 का पिता जरिये मालिक, स्वामी संरक्षक खरीद की दिनांक से उक्त भूमियों पर काबिज काश्त खातेदार था व अब बालिक होने पर अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हैं व निरन्तर काश्त कर रहे हैं, 10–12 पेड लगा रखें हैं चारों तरफ तारबन्दी कर रखी हैं व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों के पास ही स्थित अन्य भूमि में स्थित चाह से अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाइनों के जरिये फसलों की पिलाई सिंचाई करते हैं व उत्पादन प्राप्त करते आ रहें हैं व लगान सरकारी अदा करते आ रहे है व खरीद से पूर्व उस समय भी प्रार्थी/वादी का पूर्णतः कब्जा नहीं था, कब्जा अप्रार्थी/प्रतिवादी के पिताजी का था, उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी/वादी की मात्र खातेदारी में दर्ज थी। सन् 1972 के बाद प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी/वादी के स्वामित्व व खुदकाश्त की कतई नही रही, ना ही ऐसा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी/वादी ने जानते हुए गलत तथ्य प्रार्थना पत्र के अंकित किये है व सही तथ्य छिपाये हैं, सही तथ्य विशेष विवरण में दर्ज हैं। प्रार्थी/वादी की ओर से किसी भी व्यक्ति ने अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पिता को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों को कभी बंटायत पर नहीं दी ओर ना ही महादेव ने कभी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों को कभी बांटे पर प्राप्त किया और जब बांटे पर प्राप्त किया ही नही तो प्रार्थी/वादी को उपज का आधा हिस्सा देने का व बाद में नही देने का प्रार्थी/वादी द्वारा तलब व तकाजा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी/वादी ने गलत तथ्य अंकित किये हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों को प्रार्थी/वादी ने अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये विक्रय पत्र मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर बेचान किया व महादेव ने अपने नाबालिक पुत्रों अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम से क्रय किया व बतौर खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं व आज भी खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी/वादी ने विक्रय पत्र के जरिये उक्त भूमि खरीद की हो, अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जानकारी नही व खरीद के पश्चात् अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ही आज दिवस तक निरन्तर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हक पूर्वा अधिकारी महादेव द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर खातेदार कॉलम में प्रार्थी/वादी के स्थान पर अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 का नाम अंकित करवा लिया, जिस बाबत प्रार्थी/वादी की कभी भी कोई भी स्वीकृति व सहमति महादेव द्वारा नहीं ली गई, ना ही इस बाबत महादेव द्वारा प्रार्थी/वादी को सूचित ही किया गया हैं तथा महादेव की मृत्यु पश्चात उक्त भूमि के खातेदारी कॉलम में राजस्व कर्मचारियों की मिलिभगत से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा स्वयं का नाम अकिंत करवा लिया गया पूर्णतः गलत होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों को स्वयं प्रार्थी/वादी ने मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को जरिये संरक्षक पिता महादेव दिनांक 20.012.1972 को उप पंजियक कार्यालय आमेर में स्वयं उपस्थित होकर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर बेचान किया व नामान्तकरण की कार्यवाही में स्वयं प्रार्थी / वादी ने सहयोग किया व विक्रय पत्र के निष्पादन के समय अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के नाबालिक होने से महादेव के नाम नामान्तकरण खुला व बाद में अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण खुला व आगे से आगे राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होता रहा जो खरीद के पश्चात् आज दिवस तक निरन्तर काबिज काश्त हैं व लगान सरकारी अदा करते आ रहे हैं। उक्त समस्त तथ्यों की प्रार्थी / वादी को जानकारी थी व है, लेकिन प्रार्थी / वादी ने जानते हुये सही तथ्य छिपायें हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों पर जब प्रार्थी / वादी स्वंय अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का कब्जा होना स्वीकार करता हैं तो अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर आना, धमकी देना व उसके बाद प्रार्थी / वादी द्वारा नकल राजस्व रिकॉर्ड व विक्रय पत्र की प्रति प्राप्त करना व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को कहना व अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 द्वारा इंकार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं।प्राथी / वादी ने स्वयं को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु समर्थ बनाने के लिये तथा गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग की भूमियों को हडपने के लिये झूँठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों को प्रार्थी / वादी ने दिनांक 20.12.72 को मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर स्वंय उप पंजियक कार्यालय आमेर में उपस्थित होकर भूमि गत खसरा नम्बर 900 व 901 का विक्रय पत्र अप्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में जरिये संरक्षक पिता महादेव निष्पादित करवाया, जो विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1972 को उप पंजीयक आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया व दिनांक 17.1.1973 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 41में पृष्ठ संख्या 179 से 182 क्रम संख्या 880 पर पंजिबद्ध किया गया के जरिये बेचाना किया व स्वयं प्रार्थी / वादी के सहयोग व प्रार्थी / वादी की उपस्थिति में उक्त भूमियों का नामान्तकरण अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के हक में खुला, अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण अपने पिता के साथ उक्त भूमियों पर निरन्तर काबिज हो बतौर खातेदार आज दिवस तक काबिज काश्त हैं व खरीद के बाद से आज दिवस तक नियमित रूप से लगान सरकारी अदा करवाते आ रहे हैं व पास ही में स्थित अन्य भूमियों में स्थित चाह से अण्डर ग्राउण्ड पाईप के जरिये सिंचाई करते आ रहे हैं, 8–10 पेड लगा रखे हैं, रूडी डाल रखी हैं, चारों तरफ तारबन्दी कर रखी हैं, इस प्रकार उक्त समस्त तथ्यों की प्रार्थी / वादी को शुरू से ही जानकारी रही हैं, लेकिन प्रार्थी / वादी ने सही तथ्य छिपाते हुये गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे मय हर्जा–खर्चा खारिज किया जावे। वादी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में यह अभिवचन वर्णित करते हुये प्रस्तुत किया हैं कि विवादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही हैं, जिसे प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.7.1966 को क्रय कर राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2018–2025 की खतौनी बन्दोबस्त अनुरूप प्रार्थी अन्य आराजीयात के साथ काबिज खातेदार रिकॉर्ड अनुसार हैं, जिस भूमि को प्रार्थी द्वारा काश्त करने हेतु बांटे पर समय–समय पर भिन्न–भिन्न वक्तियों को दी गई, जिनमें सम्वत् 2025 के पश्चात् विवादित आराजियात को मात्र बांटे पर काश्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी स्व0 महादेव को दी गई ताकि महादेव रैगर विवादित आराजीयात जिसका प्रार्थी स्वामी हैं पर काश्त कर, काश्त के फलस्वरूप होने वाली पैदावार के आधे हिस्से को प्रार्थी को दिये जावें, प्रार्थी द्वारा उक्त बांटे पर काश्त हेतु दी गई भूमि के पैदावार का कुछ समय तक तो बांटा प्रार्थी को दिया गया किन्तु तत्पश्चात् उपज का आधा हिस्सा देना बन्द कर राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 महादेव द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलिभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम अंकित करवा दिया। अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में यह तथ्य कि अप्रार्थी / प्रतिवादी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों को प्रार्थी / वादी ने दिनांक 20.12.1972 को प्रार्थी / वादी से मूल्यंवान प्रतिफल अदा कर स्वयं उप पंजियन कार्यालय आमेर में उपस्थित होकर भूमि गत खसरा नं0 900 व 901 कर विक्रय पत्र अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हक में जरिये संरक्षक पिता महादेव निष्पादित करवाया जो विक्रय पत्र दिनांक 20.12.1972 को उप पंजियक कार्यालय आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं व दिनांक 17.01.1973 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 41में पृष्ठ संख्या 179 से 182 क्रम संख्या 880 पर पंजिबद्ध किया गया हैं के जरिये बेचान किया गया व स्वयं प्रार्थी / वादी के सहयोग व प्रार्थी / वादी की उपस्थिति में उक्त भूमियों का नामान्तकरण अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के हक में खुला, अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण अपने पिता से साथ उक्त भूमियों पर निरन्तर काबिज हो बतौर खातेदार आज दिवस तक काबिज काश्त हैं आदि तथ्य पूर्णतया गलत रूप से वर्णित किये गये हैं, जिनकी जानकारी अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को हस्तगत प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व नही थी, इस सम्बन्ध में प्रार्थी / वादीगण का कथन हैं कि वादग्रस्त भूमि भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को बांटे पर केवल काश्त करने हेतु दी गई थी, अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के पूर्व हक अधिकारी स्व0 महादेव उक्त भूमि काश्त करने हेतु बताने पर उत्पन्न होने वाली पैदावार के आधे हिस्से को कुछ सयम तक तो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी/वादी को दिया गया तत्पश्चात् महादेव द्वारा प्रार्थी/वादी को बावजूद तलब व तकाजा के विवादग्रस्त आराजीयात पर उत्पन्न पैदावार का आधा हिस्सा प्रार्थी/वादी को नहीं दिया गया अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं कि द्वारा तथाकथित किसी व्यक्ति को सम्बन्धित उप पंजीयन कार्यालय में प्रार्थी/वादी के स्थान पर प्रार्थी/वादी की सहमति व जानकारी के बिना खडा कर, फर्जी व कुटरचित विक्रय पत्र दिनांक 17.01.1973 को अपने हक में पंजीबद्ध करवा लिया गया जबकि कानूनन अप्रार्थी/प्रतिवादी प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि जिसकी खातेदारी फर्जी व कुटरचित विक्रय पत्र के निष्पादित के समय प्रार्थी/वादी जो कि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हैं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज़ थी, जिन कारण अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हक में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (क) के तहत विक्रय पत्र किया जाना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं था किन्तु अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पिता महादेव के द्वारा हरिनारायण पुत्र महादेव हनुमान पुत्र किशना से मिलिभगत कर प्रार्थी/वादी के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को बंशीधर के रूप में सम्बोधित उप पंजियक के समक्ष खडा कर यह जानते हुये की विवादित भूमि अनुसूचित जनजाति की भूमि हैं का विक्रय पत्र विधि विरूद्ध रूप से अपने नाबालिग पुत्रों अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं के हक में तस्दीक करवाया गया हैं, जो विक्रय पत्र कानूनन विधि विरूद्ध हैं जो विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने बाबत दावा सं0 81/2016 सिविल जज एवं न्यायिक मजि0 चौमूँ, जिला जयपुर के यहां उनवानी बंशीधर बनाम रामकिशन प्रस्तुत किया हुआ हैं, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 24.04.2018 नियत हैं। यहा यह भी उल्लेखित करना आवश्यक हैं कि विवादग्रस्त भूमि फर्जी व कुटरचित विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी/वादी जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं कि खातेदारी की हैं जो धारा 42 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार प्रार्थी/वादी चाहे तो भी अप्रार्थी/प्रतिवादी के नाम विक्रय पत्र तस्दीक नही हो सकता जो तथ्य दस्तावेजों से भी बखूबी साबित हैं, कानून व विधि के विपरीत किये गये किसी भी लेख पत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई हक अधिकार हासिल नही होते हैं, अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे व दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं उसके निष्पादन के समय अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण नाबालिक थें तथा हस्तगत विक्रय पत्र के आधार पर तथाकथित नामान्तकरण संख्या 367 दिनांकित 25.10.1978 में भी इस बात का नोट अंकित हैं कि तथाकथित विक्रय पत्र में वर्णित सम्पत्ति मीणा से रैगर के नाम हुई हैं, जिस कारण नामान्तकरण अवैध हैं को रोका जाकर अपील में भेजा गया इसका अमल न किया जावें, जिस कारण वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिकाना हक व स्वामित्व गलत रूप से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अवैध रूप से अपने नाम केवल मात्र रिकॉर्ड में दर्ज करवाया हैं जिससे कानूनन में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को कानूनी मदद प्राप्त नहीं होती है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का दौहरान किया। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42 के अनुसार अनुसुचित जाति से अनुसुचित जनजाति व अनुसुचित जनजाति से अनुसुचित जाति के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कृषि भूमि के स्वत्व का अन्तरण विक्रय विधिक माप से प्रारम्भतः शुन्य होता है। प्रस्तुत प्रकरण में किया गया विक्रय प्रारम्भः शून्य है तथा जो अन्तरण/विक्रय प्रारम्भ शून्य हो उसके विधि के द्वारा प्रर्वतनीय नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रार्थी का उपरोक्त कानूनी तथ्यों के मध्यनजर में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित होता है। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनिय क्षति कारित होगी। क्योंकि वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम होने से वादग्रस्त भूमि का बेचान होने का पूरा पूरा अंदेशा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद के निस्तारण तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम उदयपुरिया हाल तहसील चौमूं जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 385 में वर्णित हाल खसरा नं0 1704 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 1705 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 1706 रकबा 1.03 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 1.22 है0 स्थित वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 किसी भी प्रकार का कोई पक्का अथवा कच्चा निर्माण नहीं करें, ना ही विवादित आराजियात पर गैर कृषि कार्य ही करें, ना ही विवादित आराजियात को छोटे छोटे भूखण्डों में विभक्त करें, ना ही विवादित आराजियात का विक्रय हस्तानान्तरण ही करें, ना ही विवादित आराजियात का भू उपयोग परिवर्तन करावें तथा अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 3 विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें एवं अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 4 विवादित

Scanned by CamScanner

आराजियात के संदर्भ में किसी भी प्रकार के हस्तानान्तरण पत्र, रहन पत्र इत्यादि के अपने सम्मुख प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक नहीं करें उपरोक्त समस्त कृत्य अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 1 ता 4 ना तो स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेंट, सर्वेट, वर्कमेन, नोमिनी इत्यादि के जरिये करें या करावें अर्थात् अप्राथीगण/प्रतिवादिगण सं0 1 ता 4 विवादित आराजियात की वर्तमान मौका व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रे0) चौमूँ

Scanned by CamScanner